न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 217/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मुन्सफ अली पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान तेली निवासी देहली दरवाजा के बाहर, नागौर जरिये आम मुख्तियार मनव्वर अली पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान तेली निवासी देहली दरवाजा के बाहर नागौर।		सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री राजेश रावल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.12.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 130/2018 सरकार बनाम मुन्सफ अली में निर्णय दिनांक 20.08.18 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 1665 रकबा 0.18 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.10.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 03.12.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 130/18 सरकार बनाम मुन्सफ अली के फर्द अहकाम दिनांक 29.5.18 से दिनांक 20.08.18 की फोटोप्रति, मुख्त्यारनामा दिनांक 19.11.16 की फोटोप्रति, भू प्रबन्ध विभाग की ग्राम ताउसर की खतोनी जमाबंदी संवत 2020–39 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि ग्राम ताउसर के हल्का पटवारी के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व पत्रावली सं. 130/18 कायम की जाकर अपीलार्थी को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नं. 1665 गोचर भूमि के रकबा 18 बिस्वा पर कृषि वर्ष 2075 पर अतिचार कर तबेला बना रखा है उक्त नोटिस मे प्रकरण की आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.8.18 दर्शित की गई। उक्त प्रकरण मे अपीलार्थी ने दिनांक 20.8.18 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति देते हुए अपना जवाब मय दस्तावेजात के प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा सरासर गलत तथ्यो के आधार पर अपीलार्थी को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी ने अपने जवाब मे इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि खसरा नं. 1665 गोचर भूमि के किसी भू भाग पर अपीलार्थी का कब्जा नही है और न ही खसरा नं. 1665 के किसी भाग पर किसी भी कृषि वर्ष मे अपीलार्थी द्वारा कभी कोई अतिचार ही किया गया इसलिये अपीलार्थी को खसरा नं. 1665 पर गलत रूप से अतिचारी बतला कर जो कार्यवाही की जा रही है वह विधिनुसार पोषनीय नहीं होने से अपीलार्थी के विरूद्व जारी नोटिस व प्रकरण को निरस्त करने का निवेदन किया। उस दिन प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति हेतु आदेशिका मे हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये। तत्पश्चात अपीलार्थी ने कई बार तहसील कार्यालय जा कर प्रकरण मे आगामी कार्यवाही बाबत जानकारी की किन्तु पत्रावली बाबत किसी प्रकार की जानकारी नही दी गई। दिनांक 10.9.18 को प्रत्यर्थी के कार्यालय ऐसे

अपर कलक्टर, नागौर

यह जानकारी मिली कि उक्त पत्रावली मे अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किया जा चुका है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा उसी दिन निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसकी नकल दिनांक 18.9.18 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई। उपरोक्त से पूर्व अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की जानकारी नही थी। इस कारण से जानकारी की तिथि से अपीलार्थी की अपील अंदर मियाद शुमार की जाने योग्य है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलार्थी को कृषि वर्ष 2075 मे खसरा नं. 1665 मे पश्चातवर्ती अतिचार करने बाबत नोटिस जारी किया गया था। किन्तु अपीलार्थी द्वारा खसरा नं. 1665 के किसी भू भाग पर कभी भी कृषि वर्ष मे कोई अतिचार नही किया गया तथा न ही खसरा नं. 1665 के संबंध मे अपीलार्थी को पूर्व मे किसी कृषि वर्ष मे अतिचारी मान कर कोई नोटिस ही जारी किया गया। ऐसी स्थिति मे पश्चावर्ती अतिचार करने बाबत जो नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्व था। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

{2}(III)–पटवारी हल्का ताउसर द्वारा खसरा नं. 1665 रकबा 0.18 बिस्वा गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण की जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी ने लिखित मे अपना विस्तृत जवाब पेश करते हुए यह स्पष्ट कथन किया कि खसरा नं. 1665 के किसी भी भू भाग पर अपीलार्थी द्वारा कभी कोई अतिक्रमण नही किया गया है और न ही खसरा नं. 1665 के किसी भू भाग पर वर्तमानप मे ही अपीलार्थी का कब्जा ही है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त जवाब पेश करने के बाद हल्का पटवारी की रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.08.18 मे खसरा नं. 1665 रकबा 0.18 बीघा गै.मु. गोचर राजकीय भूमि पर तबेला बना कर कब्जा करना माना है जबकि खसरा न. 1665 के किसी भू भाग पर अपीलार्थी का तबेला हुआ नही है। खसरा नं. 1665 पुराने राजस्व रेकर्ड के अनुसार 0.13 बीघा गै.मु. खान है। जिस पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अपीलार्थी का तबेला खसरा नं. 1666 मे स्थित है। उसे गलत रूप से खसरा नं. 1665 मे बतलाया गया है। हल्का पटवारी ने मौका की सही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही बतलायी है तथा न ही मौका पर मुस्तकिल बिन्दु से नाप चोप ही किया गया है। जब अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष यह स्पष्ट कथन किया गया कि उस का खसरा नं. 1665 के किसी भू भाग पर कब्जा नही है तो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपीलार्थी के विरूद्व किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व खसरा नं. 1665 का नाप करवा कर मौका रिपोर्ट मंगवा कर वास्तविक तथ्यो का पता लगाये कि अपीलार्थी का तबेला खसरा नं. 1665 मे आता है या नही। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित कर अपीलार्थी पर जुर्माना राशि अधिरोपित कर दी गई जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा जवाब व आपत्ति बाबत किसी प्रकार की जांच नही की न कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत हुआ। पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन पेश किया गया वो एक पक्षीय था जिस को प्रमाणित करने हेतु पटवारी के सशपथ बयान लिये जाने तथा पटवारी से जिरह करने का अवसर अपीलार्थी को दिया जाना आवश्यक था। पटवारी की रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन अप्रमाणित था व रहा। जिसे सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–धारा 91 एलआर एक्ट के प्रावधानो की कार्यवाही मे जब अपीलार्थी द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को गलत बताते हुए चुनौती दी जाती है तो न्यायालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत जांच करे। यद्यपि वह जांच संक्षिप्त हो सकती है परंतु किसी प्रकार की जांच किये बिना आदेश पारित किया जावे तो वह आदेश वैधानिक नही है। इस प्रकरण मे किसी प्रकार की जांच नही की गई न पटवारी से जिरह का अवसर ही दिया गया न पटवारी से सशपथ बयान नही लिये गये। ऐसी स्थिति मे कोई जांच न होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(VII)–दिनांक 20.08.18 को अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब नोटिस मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया था किन्तु उस दिन प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई निर्णय नही सुनाया गया। अपीलार्थी का खसरा न. 1665 मे कभी कोई अतिक्रमण नही रहा है और न ही आज दिन है। यदि किसी अन्य व्यक्ति का खसरा नं. 1665 मे अक्रिमण है तो उसे हटाने से अपीलार्थी को कोई आपत्ति नही है साथ ही जब अपीलार्थी का खसरा नं. 1665 मे अतिचार ही नही है तो उसे जुर्माना से दण्डित नही किया जा सकता तथा किसी अन्य के द्वारा जिसने भी खसरा नं. 1665 पर अतिचार किया है, उसके कृत्य के लिये अपीलार्थी को दोषी मान कर दण्डित किया जाना न तो उचित है न ही न्यायसंगत है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

2(VIII)–अपीलार्थी का कुआ मकान तबेला खसरा नं. 1666 मे स्थित है। जिसके संबंध मे राजस्व न्यायालयो मे मामले विचाराधीन है तथा उक्त खसरा नं. 1666 की भूमि बाबत न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 18.10.01 मे भूमि अपीलार्थी के नाम नियमन करवाने के आदेश दिये गये थे। अपीलार्थी का मकान कुआ तबेला जो खसरा नं. 1666 मे निर्मित है उसको गलत रूप से खसर नं. 1665 मे बतला कर अपीलाधीन आदेश की आड मे यदि कोइ नुकसान कारित किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1980 पेज 483, डीएनजे राज 2016(2) पेज 506, आरआरडी 1977 पेज 591 नजीरे प्रस्तुत की गई।

3–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ताउसर में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अक्रिमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

4– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अक्रिमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 1665 रकबा 0.18 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अक्रिमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। खसरा नं. 1661 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर अक्रिमित भूमि खसरा नं. 1666 मे दर्शायी गयी है। अपीलांट का कथन रहा है कि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 1665 की भूमि पर उसका कोई अक्रिमण नही है तथा उसने अपील मीमो के साथ मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र मे यह घोषणा भी की है कि उसका खसरा नं. 1665 के किसी भी भू भाग पर अक्रिमण नही है। अपीलांट का कुआं, मकान, तबेला खसरा नं. 1666 मे स्थित है। जिसके संबंध मे राजस्व न्यायालयो मे मामले विचाराधीन है। इस बिन्दु पर जांच करवायी जाकर वास्तविक अक्रिमण स्थल कौन से खसरे मे है, यह सुनिश्चित करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे इस आदेश के जारी होने के पन्द्रह दिन की अवधि मे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका खसरा नं. 1665 के किसी भी भू भाग पर अक्रिमण नही है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भौतिक रूप से जांच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आया खसरा नं. 1665 की आराजी भूमि पर अपीलांट का भौतिक रूप से अक्रिमण है अथवा नही। यदि अक्रिमण पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत मानते हुए भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही की जावे तथा गलत शपथ पत्र पाये जाने की स्थिति मे अपीलांट के विरूद्व आईपीसी के प्रावधानो के तहत कार्यवाही भी की जावे।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर